आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य तथा

श्री परेश एम. जोशी, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 1000 से 1002/इंदौर/2025 तथा 991/इंदौर/2025

निर्धारण वर्ष : 2020-21 से 2023-24

तथागत, 31,एफ.आई.ई., पतपारगंज, नई दिल्ली 110092	बनाम	सीपीसी, आयकर विभाग, बैंगलुरू
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एएबीटीटी 8499 एच PAN- AABTT8499H		

अपीलार्थी की ओर से	श्री प्रफुल्ल अग्रवाल, प्राधिकृत प्रतिनिधि
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	06.01.2026
उद्घोषणा तिथि	06.01.2026

आदेश

न्यायपीठ द्वारा

निर्धारण वर्ष 2020-21 से 2023-24 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपीलें विद्वान अतिरिक्त/ संयुक्त आयकर आयुक्त (अपील), इंदौर के अलग-अलग आदेशों सभी दिनांक 08.09.2025 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि सीपीसी, बैंगलुरू के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के अधीन आदेश क्रमशः दिनांक 24.12.2021, 14.12.2022, 04.04.2023 तथा 23.12.2024 से उद्भूत है ।

2. इन अपीलों के संबंध में निर्धारिती द्वारा लिखित आवेदन दिनांक 22.12.2025 दाखिल किया गया है जिसमें उसके द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त अपीलें निर्धारिती द्वारा त्रुटिवश इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ में दाखिल की गई है जबकि उक्त प्रकरणों की अधिकारिता आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली

न्यायपीठ के अंतर्गत आती है । अतः निर्धारिती इन अपीलों पर दबाव नहीं डालना चाहता तथा इन्हे वापिस लेना चाहता है । निर्धारिती द्वारा निवेदन किया गया है वह आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली न्यायपीठ में नये सिरे से अपील दाखिल करेगा । उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती वर्तमान अपीलों का अनुसरण करने का इच्छुक नही हैं । अतः निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपीलों को वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि निर्धारिती को वर्तमान अपीलों वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इन अपीलों को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा इन्हें वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं । यद्यपि, इस मामले में उचित न्यायनिर्णयन के लिए, निर्धारिती आयकर अपीलीय अधिकरण की अधिकारिता (Jurisdictional) न्यायपीठ के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा । तद्नुसार आदेश किया जाता है।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं ।

यह आदेश 06.01.2026 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(परेश एम.जोशी)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 06.01.2026

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल